

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....मधेपुरा....., सं0.....165....., सन्.....2023.....केस का प्रकार.....आर्बिट्रेशन.....(भोला मंडल एवं अन्य बनाम राज्य).....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
<u>25.8.2026</u>	आवेदक, रेलवे एवं राज्य उपस्थित । रेलवे के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के भूमि का अधिग्रहण रेलवे एक्ट-1956 के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है । अपितु Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013 (RFCTLARR Act 2013) के तहत अधिग्रहित किया गया है । RFCTLARR Act 2013 के तहत प्रमंडलीय आयुक्त इस वाद की सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है । उनका यह भी कहना है कि यह वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है । आवेदक चाहे तो RFCTLARR ACT-2013 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु भूमि अधिग्रहण पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार के समक्ष वाद दायर कर उचित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं । आवेदक एवं रेलवे तथा सरकारी अधिवक्ता को सुना । अभिलेख का अवलोकन किया । RFCTLARR Act 2013 की धारा-51 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवादों के निष्पादन हेतु 'भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन प्राधिकार' का गठन किया गया है । अतः प्रस्तुत वाद इस न्यायालय में Maintainable नहीं है । तदालोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति सभी संबंधितों को भेजे ।  आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा । लेखापित एवं शुद्धित ।  आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा	

